(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 231 नई दिल्ली 27 नवबंर, 2009

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा, कांडला पत्तन न्यास द्वाराआबटित गाँधीधाम नगर की आंबटित भूमि खण्ड के किराया पट्टे की वैधता को संलग्न आदेशानुसार विस्तारित करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/9/2006 - केपीटी

आदेश

(अक्टूबर, 2009 के 23 वें दिन पारित)

कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) द्वारा आंबटित गाँधीधाम नगर भूमि खण्ड के पट्टेदारी किराये 22 अप्रैल 2008 को इस प्राधिकरण द्वारा अनंतिम से संशोधित किए गए थे। कथित आदेश, राजपत्र सं. 100 के माध्यम से 16 जून 2008 को भारत का राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टा किराया, जिनकी वैधता अवधि 5 वर्ष थी, पिछले प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2004 से 31 दिसम्बर 2008 तक क्रियान्वित किए गए थे।

2. इस प्राधिकरण ने अंतिमबार 1 जुलाई 2009 से चार महिनों के लिए अपने आदेश दिनांक 28 जुलाई 2009 के द्वारा विस्तारित किया था जो भारत का राजपत्र मे अधिसूचना संख्या जी-154 के द्वारा अधिसूचित किया गया है।

3. दिनांक 2 जुलाई 2009 के पत्रानुसार भूखण्ड के मूल्यों का निर्धारण करने के लिए भूखण्ड मूल्यांकक को नियुक्त किया जा रहा था जिसके छह महिनों के अंदर अपना काम पूरा कर लेने की उम्मीद थी। यद्यपि पत्तन प्रस्ताव दाखिल नही किया है। चूँकि, केपीटी द्वारा आंबटित भूमिखण्ड के किराया पट्टे की वैधता 31 अक्टूबर 2009 को समाप्त होती है। यह आवश्यक हो गया है कि प्रचलित पट्टे-किराया की वैधता को इस तिथि से परे विस्तारित किया जाय। महापत्तनों की भूमि संबंध नीति पर सरकार द्वारा जारी किये गये मार्ग निर्देशों में समझोता की शर्त हैं कि जब तक पट्टा-किराया सक्षम अधिकारी द्वारा संशोधित नही किये जाते तब तक उनमें प्रति वर्ष 2% की दर से वृद्धि होती रहेगी। अप्रैल 2008 मे इस प्राधिकरण के द्वारा अनुमोदित आदेश भी सरकारी मार्ग निर्देश की शर्तो को निर्धारित करता है। इस प्राधिकरण के द्वारा पट्टे-किराये के संशोधन के तिथि तक प्रचलित किराये पट्टे की सूची में भी वार्षिक 2% की दर से वृद्धि का व्यवस्था पहले से ही किया गया है।

4. इसलिए, यह प्राधिकरण कांडला पत्तन न्यास द्वारा आंबटित भूमि के प्रचलित पट्टे-किराये की वैधता को 1 नंवबर 2009 से चार महिनों के लिए या केपीटी द्वारा दाखिल किये जाने वाले प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय पारित होने वाले तिथि तक, इसमे से जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा